[2020] 1 एस. सी. आर. 694

श्री प्रताप सिंह (मृत) एलआरएस के माध्यम से। & ओआरएस।

वी.

एलआरएस के माध्यम से शिव राम (मृत)।

(2020 की सिविल अपील संख्या 1511)

20 फरवरी, 2020

[एल. नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

हिमाचल भूमि राजस्व अधिनियम, 1954: एसएस। 32 (2) (क), 34-अभिलेख-अधिकार और आवधिक अभिलेख-प्रविष्टियों के पक्ष में अनुमान

इसमें-का खंडन किया गयाः रिकॉर्ड-ऑफ-राइट्स से जुड़ी सच्चाई के अनुमान का खंडन केवल तभी किया जा सकता है जब प्रविष्टि में कोई धोखाधड़ी हो या प्रविष्टि गुप्त रूप से की गई हो या वह निर्धारित प्रक्रिया हो। पालन नहीं किया गया-वैधानिक धारणा का खंडन करने के लिए मौखिक साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि मौखिक साक्ष्य की विश्वसनीयता दस्तावेजी साक्ष्य की तुलना में बहुत कमजोर स्तर पर है-किरायेदारी के संबंध को साबित करने का बोझ उस व्यक्ति पर है जो दावा करता है

एस के अनुसार ऐसा संबंध। 109 साक्ष्य अधिनियम-तथ्यों पर, राजस्व रिकॉर्ड में मकान मालिक और किरायेदार के किसी भी संबंध का उल्लेख नहीं है-राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि के अभाव में, जिसमें किराए और कब्जे की प्रविष्टि भी शामिल होने की उम्मीद है, किरायेदारी को केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर अस्तित्व में नहीं माना जा सकता है-संबंध साबित करने का बोझ प्रतिवादी पर था

राजस्व रिकॉर्ड से जुड़ी सच्चाई के अनुमान का खंडन केवल त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता के साक्ष्य के आधार पर किया जा सकता है-प्रतिवादी एक किरायेदार के संबंध को साबित करने के लिए विश्वसनीय, भरोसेमंद और ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सच्चाई के अनुमान का खंडन करने में विफल रहा-उच्च न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड से जुड़ी सच्चाई के वैधानिक अनुमान का खंडन करने के लिए मौखिक साक्ष्य पर भरोसा करने वाली प्रतिवादी की अपील को अनुमति देने में गलती की-उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और पहली अपीलीय अदालत द्वारा पारित निर्णय को बरकरार रखा जाता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 हिमाचल भूमि राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 32 (2) (ए) के अनुसार, रिकॉर्ड-ऑफ-राइट्स, यानी जमाबंदी में उन व्यक्तियों का नाम शामिल होगा जो भूमि मालिक, किरायेदार या असाइनी हैं।

भूमि राजस्व और किराया, भूमि राजस्व, दरें, उपकर या

694 श्री प्रताप सिंह (मृत) एलआरएस के माध्यम से। & ओआरएस। वी. एलआरएस के माध्यम से शिव राम (मृत)।

उन व्यक्तियों में से प्रत्येक को और सरकार को देय अन्य भुगतान। दूसरी ओर, आवधिक रिकॉर्ड, अर्थात खसरा गिरदावरी, जैसा कि अधिनियम की धारा 34 में उल्लेख किया गया है, हर साल बयानों के प्रमाण के रूप में तैयार किया जाना है, जैसा कि उप-अधिनियम में उल्लेख किया गया है।

धारा 32 की धारा (2) खंड (ए), जिसमें भूमि मालिकों, किरायेदारों का नाम और देय किराया और भूमि राजस्व शामिल हैं। 1954 के अधिनियम की धारा 45 के संदर्भ में, 1954 के अधिनियम की धारा 32 और 34 के संदर्भ में तैयार किए गए अधिकारों के अभिलेख में सच्चाई का अनुमान होता है। इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति जो अधिकारों के अभिलेख या आवधिक अभिलेख में किसी भी प्रविष्टि से व्यथित है, उसे सुधार के लिए सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने का अधिकार है।

1954 के अधिनियम की धारा 46 के संदर्भ में प्रविष्टियाँ। [पैरा 15] [703 ई-एफ]

1.2 आवधिक अभिलेखन के लिए विस्तृत प्रक्रिया

1954 के अधिनियम की धारा 32 और 34 के संदर्भ में अधिकारों के अभिलेख के साथ-साथ अधिकारों के अभिलेख निर्धारित किए गए हैं। रिकॉर्ड-का

अधिकारों में चार वर्षों के राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियाँ शामिल हैं। इस तरह के अधिकारों के अभिलेख में 1954 के अधिनियम की धारा 45 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 18721 की धारा 35 के संदर्भ में शुद्धता की धारणा है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 109 आगे विचार करती है कि क्या भूमि मालिक और किरायेदार का कोई संबंध मौजूद है और इस तरह के संबंध को साबित करने का बोझ है।

यह उस व्यक्ति पर है जो इसकी पुष्टि करता है। [पैरा 16] [703-जी-एच; 704-ए]

1.3 हिमाचल प्रदेश राज्य में 1954 के अधिनियम की धारा 32 के तहत जमाबंदी के साथ-साथ खसरा गिरदावरी के तहत

1954 के अधिनियम की धारा 34, दोनों 1954 के अधिनियम की धारा 32 के संदर्भ में रिकॉर्ड-ऑफ-राइट्स हैं, और इन दोनों के बारे में वैधानिक धारणा है - सच। [पैरा 17] [704-ई-एफ]

1.4 तत्काल एक ऐसा मामला है जिसमें आवश्यक होने के बावजूद राजस्व रिकॉर्ड में मकान मालिक और किरायेदार के किसी भी संबंध का उल्लेख नहीं है।

1954 के अधिनियम की धारा 32 (2) (ए) के संदर्भ में। राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि के अभाव में, जिसमें किराया और अधिकार की प्रविष्टि भी शामिल होने की उम्मीद है, किरायेदारी को केवल गवाहों के मौखिक साक्ष्य के आधार पर अस्तित्व में नहीं माना जा सकता है।

प्रतिवादी द्वारा जाँच की गई। संबंध साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। इस तरह के बोझ को केवल मौखिक साक्ष्य द्वारा खंडन नहीं कहा जा सकता है। गवाह झूठ बोल सकते हैं लेकिन दस्तावेज़ [2020] 1 एस. सी. आर.

नहीं, यह एक सुनहरा नियम है। राजस्व अभिलेख से जुड़ी सच्चाई की धारणा का खंडन केवल त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता के साक्ष्य के आधार पर किया जा सकता है। मौखिक साक्ष्य हमेशा राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत प्रस्तुत किया जा सकता है लेकिन इस तरह के मौखिक साक्ष्य

गवाही यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं होगी कि वैधानिक धारणा का खंडन किया गया है। अभिलेख-के-अधिकारों से जुड़ी सच्चाई की धारणा का खंडन केवल तभी किया जा सकता है जब प्रविष्टि में कोई धोखाधड़ी हो या प्रविष्टि गुप्त रूप से की गई हो या निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हो। वैधानिक धारणा को विश्वसनीयता के रूप में खारिज करने के लिए मौखिक साक्ष्य पर भरोसा करना उचित नहीं होगा।

दस्तावेजी साक्ष्य की तुलना में मौखिक साक्ष्य का स्तर बहुत कमजोर है। [पारस 18,24] [705-डी-एफ; 707-जी] 1.5 उच्च न्यायालय ने वैधानिक का खंडन करने के लिए मौखिक साक्ष्य पर भरोसा करते हुए प्रतिवादी की अपील को अनुमति देने में कानून में गलती की।

राजस्व अभिलेखसँ जुड़ल सत्यक अनुमान। निचली अदालत ने सबूत की जिम्मेदारी प्रतिवादी पर डाल दी थी। यह भार उस व्यक्ति पर है जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 109 के अनुसार इस तरह के संबंध का दावा करता है। प्रतिवादी एक किरायेदार के संबंध को साबित करने के लिए विश्वसनीय, भरोसेमंद और ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सच्चाई की धारणा का खंडन करने में विफल रहा है। उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि की जाती है। [पारस 25,26] [708-ए-सी]

विश्व विजय भारती बनाम। फखरूल हसन और अन्य। (1976) 3 एस. सी. सी. 642; एल. आर. एस. द्वारा भीमप्पा चन्नप्पा कपाली (मृत)। वी. एल. आर. एस. द्वारा भीमप्पा सत्यप्पा कामगौड़ा (मृत)। और अन्य (2012) 13 एस. सी. सी. 759; गुरु अमरजीत सिंह बनाम। रतन चंद और अन्य ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 227-आश्रित

पर।

हरीश चंदर और अन्य बनाम। घिसा राम और अन्य (1981) 1 एस. सी. सी. 431; सोधी ट्रांसपोर्ट कंपनी और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य (1986) 2 एस. सी. सी. 486; कुमार एक्सपोर्ट्स बनाम। शर्मा कार्पेट्स (2009) 2 एससीसी 513

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

(1981) 1 एस. सी. सी. 431

पैरा

17

संदर्भित किया गया।

संदर्भित किया गया।

पैरा 21 श्री प्रताप सिंह (मृत) एल. आर. एस. के माध्यम से। & ओआरएस। वी. एलआरएस के माध्यम से शिव राम (मृत)।

(2009) 2 एस. सी. सी. 513

संदर्भित किया गया।

पैरा

22

(1976) 3 एस. सी. सी. 642

पर भरोसा किया।

पैरा

23

पर भरोसा किया।

ए. आई. आर 1994 एस. सी. 227

पैरा

23

(2012) 13 एस. सी. सी. 759

पर भरोसा किया।

पैरा

23

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1511

2020 .

उच्च न्यायालय के 19.09.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2006 के आर. एस. ए. सं. 258 में शिमला में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा।

सुश्री बीना माधवन, सुश्री स्वीना नायर, मेसर्स. वकील एस. निट एंड

को, एड. अपीलार्थियों के लिए।

अभिमन्यु झांबा, सुश्री थोंपिनाव थंगल, सुश्री हेमलता रंगा,

हतनीमावी, सरोज शाजी, मोहित पोसवाल, समीर अली खान, गगन गुप्ता, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे।

1. वर्तमान अपील द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ निर्देशित किया जाता है

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 19 सितंबर 2016 को प्रतिवादी की दूसरी अपील की अनुमति दी और एक स्थायी याचिका दायर की।

निषेधाज्ञा, अनिवार्य निषेधाज्ञा और खातों की प्रस्तुति को खारिज कर दिया गया था।

2. मुकदमा वादी नंबर 1 द्वारा दायर किया गया था जो खुद को होने का दावा करता है

53 बीघा 11 बिस्वास मापने वाली भूमि का मालिक और वादी संख्या 2 खुद को 12 बीघा 16 बिस्वास मापने वाली भूमि का मालिक होने का दावा करती है। वादी नं. 1 ने दावा किया कि वह पूर्ववर्ती धामी रियासत का पूर्व शासक था और वह विभिन्न व्यक्तियों के माध्यम से अपनी संपत्ति का प्रबंधन कर रहा था। वादी का दावा है कि प्रतिवादी को संपत्ति की देखभाल और प्रबंधन के लिए एक प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था और प्रत्येक फसल की कटाई के बाद वादी को लेखा देने के लिए उत्तरदायी था, यानी वर्ष में दो बार। प्रतिवादी खातों का भुगतान कर रहा था और उसे संपत्तियों की आय के 10 प्रतिशत प्रबंधन शुल्क का भुगतान किया जाता था। प्रतिवादी को आय और व्यय के खाते के साथ-साथ वादी की संपत्ति की सूची रखने के लिए एक रजिस्टर रखने की भी आवश्यकता थी।

3. वादी का आरोप है कि इसमें गड़बड़ी की गई थी

इसलिए, प्रतिवादी ने एजेंसी को समाप्त कर दिया और उसे [2020] 1 एस. सी. आर. सौंपने के लिए कहा।

संपत्तियों के प्रभार पर। उक्त दावे को ध्यान में रखते हुए, स्थायी निषेधाज्ञा, अनिवार्य निषेधाज्ञा और 13 बीघा 14 बिस्वास के 8 भूखंडों के कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया गया था।

4. लिखित बयान में, प्रतिवादी ने दावा किया कि वह एक

किरायेदार और वह मुकदमा विशेष रूप से राजस्व न्यायालय द्वारा विचारणीय है। उन्होंने आगे कहा कि वह पिछले 12 वर्षों से 13 बीघा 2 बिस्वास की भूमि के संबंध में आधा गल्ला बटाई का भुगतान कर रहे हैं। प्रतिवादी द्वारा किया गया प्रासंगिक दावा इस प्रकार हैः

" 2. कि बाद के पैरा में की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए

इस लिखित कथन से यह स्पष्ट है कि यह एक विवाद है

एक भूमि मालिक और एक किरायेदार के बीच और इस तरह, इस न्यायालय ने

मुकदमा चलाने और उसे निर्धारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। सूट है विशेष रूप से राजस्व न्यायालय द्वारा विचारण योग्य और इसलिए, यह योग्य है।

रहने के लिए।

XX

XX

XX

गुणों के बारे में

जिन तथ्यों को विशेष रूप से स्वीकार नहीं किया गया है, वे होंगे - माना जाता है कि लिखित में आवश्यक निहितार्थ से इनकार किया गया है

बयान नीचे दिया गया है।

1. पैरा 1 को इस हद तक स्वीकार किया जाता है कि वादी इसका मालिक है।

मुक़दमे के इस पैरा में वर्णित भूमि। लेकिन यह हो सकता है

प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी 1⁄2 गल्ला के भुगतान पर एक किरायेदार है

भूमि के संबंध में बताई 13 बीघा 2 विश्वास किटा 7

खेवात खतौनी नंबर. 1/1 खसरा नंबर। 50 (6 बिस्वास), खसरा नं. 51 (3 बिस्वास) खसरा नं. 302/52/1 (2 बीघा), खसरा नं. 302 /

52/3 (17 बिस्वास), खसरा नं. 303/52/1 (6 बीघा 17 विश्व),

खसरा नं. 52 (2 बीघा 10 बिस्वास) और खसरा नं. 68 (9 बिस्वास) गाँव कन्नौरी, परगना धामेर, तहसील और ज़िले में स्थित

पिछले 12 वर्षों से अधिक समय से शिमला। प्रतिवादी के पास कुछ भी नहीं है

अभियोग के इस पैरा में वर्णित अन्य भूमि के साथ करना। द.

इस पैरा में संदर्भित जमाबंदी 1981-82 में की गई प्रविष्टियाँ

लिखित कथन के इस पैरा में वर्णित भूमि का सम्मान

सही नहीं हैं और मौके पर मौजूद तथ्यों के विपरीत हैं।

5. विद्वत निचली अदालत ने 12 मुद्दों को तैयार किया लेकिन

वर्तमान अपील पर निर्णय लेने का उद्देश्य, मुद्दा संख्या 3 प्रासंगिक है जो

इस प्रकार पढ़ता हैः

श्री प्रताप सिंह (मृत) एलआरएस के माध्यम से। & ओआरएस। वी. एलआरएस के माध्यम से शिव राम (मृत)। [हेमंत गुप्ता, जे।]

" क्या पक्षकारों के बीच मकान मालिक और किरायेदार का संबंध है जैसा कि आरोप लगाया गया है। यदि हां, तो किस संपत्ति के बारे में?

6. वादी पीडब्लू-1 के रूप में पेश हुआ और कुछ अन्य गवाहों से पूछताछ की। साक्ष्य में वादी ने राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत किया अर्थात।

जमाबंदी (एक्स. पी./1 से एक्स. पी./4) और खसरा गिरदावरी (एक्स. पी./5 से पी./12) जिसमें विवादित संपत्ति को वादी के स्वामित्व और कब्जे में दिखाया गया है।

7. प्रतिवादी के नेतृत्व में मौखिक साक्ष्य पर विचार करते हुए विद्वत निचली अदालत ने एक निष्कर्ष वापस किया कि राजस्व रिकॉर्ड में सच्चाई की धारणा, विशेष रूप से जमाबंदी, का खंडन किया जाता है क्योंकि प्रतिवादी के गवाह ने बयान दिया है कि भुगतान पर प्रतिवादी के कब्जे में है।

आधा गल्ला बताई। प्रतिवादी ने इकवाल अली (डी. डब्ल्यू.-2) से पूछताछ की है और तुलसी राम (डी. डब्ल्यू.-5) से भी पूछताछ की है, प्रतिवादी की याचिका के समर्थन में कि वह एक आधा गल्ला बताई के भुगतान पर किरायेदार है। इकवाल अली (डी. डब्ल्यू.-2) दावा करता है कि प्रतिवादी को किरायेदार के रूप में शामिल करने से पहले वह खुद के कब्जे में था, जबकि तुलसी राम और गोसौन को वे व्यक्ति कहा जाता है जो वादी के लिए किराया वसूल कर रहे थे। ऐसे गवाहों ने गवाही दी है कि वे प्रतिवादी की ओर से किराया दे रहे थे। के आधार पर

अभिलिखित साक्ष्य, विद्वत विचारण न्यायालय ने एक निष्कर्ष वापस किया कि हालांकि वादी ने खुद को वाद भूमि के मालिक साबित कर दिया है, लेकिन 13 बीघा 2 बिस्वास मापने वाली भूमि को किरायेदार के रूप में प्रतिवादी के कब्जे में पाया गया, इस प्रकार किरायेदार के रूप में प्रतिवादी के कब्जे में पाई गई भूमि के संबंध में निषेधाज्ञा के लिए डिक्री दी गई।

8. उक्त निर्णय के खिलाफ पहली अपील 26 मई 1997 को विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा स्वीकार की गई थी। हालाँकि, प्रतिवादी द्वारा दायर दूसरी अपील में, उच्च न्यायालय ने मामले को

प्रथम अपीलीय न्यायालय निम्नलिखित दो प्रश्नों की जांच करेगाः

" 1. क्या प्रतिवादी के पास 13 बीघा 2 बिस्वास (ऊपर विस्तृत) की भूमि किरायेदार के रूप में है या अतिचारक के रूप में?

2. क्या वादी अधिकार के लिए डिक्री के हकदार हैं

उक्त भूमि? ”

9. रिमांड के बाद विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने अन्य बातों के साथ-साथ इस कारण से अपील को स्वीकार कर लिया कि याचिका में ऐसा नहीं दिखाया गया था

कब किरायेदारी बनाई गई थी और, यदि हां, तो किसके और किरायेदारी के नियम और शर्तें क्या थीं।

10. यह ध्यान दिया जा सकता है कि वादी ने प्रतिवादी का दावा किया है

उनकी संपदा का प्रबंधक होना लेकिन समवर्ती निष्कर्ष है कि वादी यह साबित करने में विफल रहे हैं कि प्रतिवादी उनका प्रबंधक था। प्रतिवादी ने वाद भूमि पर वादी के स्वामित्व को स्वीकार किया है लेकिन खुद को किरायेदार होने का दावा किया है। निर्गम संख्या 3 के प्रमाण की जिम्मेदारी प्रतिवादी पर थी। वाद भूमि पर वादी का स्वामित्व विवाद में नहीं होने के कारण, मकान मालिक और किरायेदार के संबंधों के प्रमाण की जिम्मेदारी प्रतिवादी पर उचित रूप से रखी गई थी। इसलिए, इस सवाल की जांच की जानी चाहिए कि क्या राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियां जैसे कि जमाबंदी (एक्स. पी./1 से पी./4) और खसरा गिरदावरी (एक्स. पी./5 से पी./12) जो सच्चाई की धारणा रखती हैं, मौखिक गवाही द्वारा खारिज की जाती हैं। हिमाचल भूमि राजस्व अधिनियम, 1954 1 के कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं:

प्रत्येक संपदा के लिए अभिलेख-अधिकार।
(2) किसी संपत्ति के अधिकारों के अभिलेख में निम्नलिखित शामिल होंगे:

दस्तावेज़, अर्थात्:

(क) जहां तक व्यवहार्य हो, बयान:

((i) वे व्यक्ति जो भूमि के मालिक, किरायेदार या भूमि के समनुदेशक हैं।

राजस्व [जिसकी संपत्ति में] किराए में से कोई भी लाभ प्राप्त करता है

उसमें भूमि पर कब्जा कर लिया;
((ख) उन व्यक्तियों के हितों की प्रकृति और विस्तार, और

उससे जुड़ी शर्तें और देनदारियां; और

((ग) किराया, भूमि राजस्व, दरें, उपकर या अन्य देय भुगतान।

उन व्यक्तियों में से प्रत्येक से और सरकार को;
(बी) में अधिकारों और देनदारियों का सम्मान करते हुए सीमा शुल्क का एक बयान

संपत्ति। ((ग)
संपत्ति का नक्शा; और

(घ) वित्तीय आयुक्त के रूप में ऐसे अन्य दस्तावेज,

राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ निर्धारित करें।

XX

XX

1 संक्षेप में "1954 अधिनियम" के लिए एल. आर. एस. के माध्यम से श्री प्रताप सिंह (मृत)। & ओआरएस। वी. IV रैम (मृत) एल. आर. एस. के माध्यम से। [हेमंत गुप्ता, जे।]

धारा 34. [आवधिक] अभिलेख। – (1) कलेक्टर प्रत्येक संपदा के पटवारियों द्वारा वार्षिक रूप से या ऐसे अन्य अंतरालों पर तैयार कराएगा जो वित्तीय आयुक्त निर्धारित करे -

इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार संशोधित अधिकारों के अभिलेख का संस्करण।

(2) . अधिकारों के अभिलेखों के इस संस्करण में अधिनियम सं. 21] में धारा 32 की उप-धारा (2) खंड (ए) में उल्लिखित विवरण और ऐसे अन्य दस्तावेज, यदि कोई हों, जो वित्तीय आयुक्त की पूर्व मंजूरी के साथ शामिल हों। राज्य सरकार निर्धारित करती है।

(3) वार्षिक अभिलेख तैयार करने के उद्देश्य से, कलेक्टर प्रत्येक संपदा के पटवारियों द्वारा उत्परिवर्तन का एक रजिस्टर और ऐसा अन्य रजिस्टर रखेगा जो वित्तीय आयुक्त निर्धारित करे।

XX

XX

XX

धारा 45। अभिलेखों-अधिकारों और [आवधिक] अभिलेखों में प्रविष्टियों के पक्ष में अनुमान। - अभिलेख में की गई प्रविष्टि-कुछ समय के लिए लागू कानून के अनुसार अधिकार, या [आवधिक] अभिलेख इसके प्रावधानों के अनुसार जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता या इसके लिए एक नई प्रविष्टि कानूनी रूप से प्रतिस्थापित नहीं की जाती, तब तक अध्याय और उसके तहत नियमों को सही माना जाएगाः

बशर्ते कि इसमें कुछ भी निहित होने के बावजूद

धारा 1 नवंबर, 1966 से ठीक पहले [अप्रैल, 1948 के पहले दिन और अप्रैल, 1956 के पहले दिन के बीच की अवधि के दौरान] हिमाचल प्रदेश में शामिल क्षेत्रों में अधिकारों के अभिलेख में या [आवधिक] अभिलेख में की गई कोई प्रविष्टि जहां भूमि द्वारा स्व-खेती के तहत दिखाई गई है, यह नहीं माना जाएगाः

सच है।

धारा 46. - पीड़ित व्यक्तियों द्वारा घोषणात्मक डिक्री के लिए वाद

एक अभिलेख में एक प्रविष्टि द्वारा। -यदि कोई व्यक्ति स्वयं को किसी ऐसे अधिकार के बारे में व्यथित समझता है जिसके अधिकार उसके पास हैं, तो वह निर्दिष्ट राहत अधिनियम, 1963 के अध्याय VI के तहत अपने अधिकार की घोषणा के लिए मुकदमा दायर कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की अपील को स्वीकार कर लिया और कहा कि

यह स्थापित करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि प्रतिवादी को प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था और वह किरायेदार नहीं था। उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 19. ..... वादी ने कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया है।

प्रबंधक के रूप में वादी की संपत्ति का प्रबंधन कर रहा था और नहीं किरायेदार के रूप में। वादियों ने अभिलेख प्रतियां प्रस्तुत की हैं

जामबंदी, एक्स. पी.-1 से पी.-4 और खसरा गिरदावरी की प्रतियां, एक्स. पी.-5

पी-12 के लिए, जो दर्शाता है कि सूट भूमि स्वामित्व में है और

वादियों का अधिकार। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सत्य की धारणा

जामबंदी की प्रति के साथ संलग्न है, लेकिन यह धारणा हमेशा होती है

खंडन योग्य।

XX

XX

XX

28. उपरोक्त से, यह पूरी तरह से रिकॉर्ड पर स्थापित है कि

वादी प्रतिवादी से गल्ला बताई प्राप्त करते थे

13. 2 बीघा जमीन और सत्य की धारणा संलग्न

वादी को स्वामित्व में मालिक के रूप में दिखाने वाली राजस्व प्रविष्टियों के लिए उक्त भूमि का खंडन किया जाता है। अन्यथा भी, जहाँ तक

वाद भूमि के संबंध में प्रतिवादी का अधिकार, यह

प्रतिवादी उसका नौकर था। उसी समय, जैसा कि देखा गया है इसके ऊपर, वादी कोई दस्तावेज लाने में विफल रहा है।

प्रतिवादी की नियुक्ति के संबंध में अभिलेख

नौकर, उसे दिया गया वेतन और निष्कर्ष यह है कि प्रतिवादी 13. 2 की सीमा तक भूमि पर वादी का किरायेदार था।

बीघा "।

12. जमाबंदी से जुड़ी सच्चाई का अनुमान कहा गया था

मूल प्रतिवादी शिव राम (डी. डब्ल्यू. 1) के बयान के आधार पर खंडन किया जाएगा, जो पिछले 15-16 वर्षों से वाद भूमि के कब्जे में होने का दावा करता है। उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि उनसे पहले, इकवाल अली (डी. डब्ल्यू.-2) सूट भूमि के कब्जे में था। इकवाल अली (डी. डब्ल्यू.-2) ने अपदस्थ किया कि वह प्रतिवादी से पहले भूमि पर खेती करता था। तुलसी राम (डी. डब्ल्यू.-5) और गोसौन को वादी संख्या 1 का सेवक बताया गया था और उस हैसियत में वे वादी को भुगतान करने के लिए प्रतिवादी से किराया लेते थे।

श्री प्रताप सिंह (मृत) एलआरएस के माध्यम से। & ओआरएस। वी. एलआरएस के माध्यम से शिव राम (मृत)। [हेमंत गुप्ता, जे।]

13. प्रतिवादी ने ललिता चौहान (डीडब्ल्यू-8) से भी पूछताछ की।

राजस्व अधिकारी, जिन्होंने राजस्व प्रविष्टियों के सुधार से संबंधित राजस्व कार्यवाही का रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है। उच्च न्यायालय ने इस तरह की राजस्व कार्यवाही में दर्ज किए गए बयानों पर भरोसा करते हुए यह माना गया कि कानूनगो द्वारा की गई जांच में, प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन के अनुसार, राजस्व रिकॉर्ड में सुधार की सिफारिश की गई थी।

14. खसरा गिरदावरी प्रविष्टियों के सुधार के लिए ललिता चौहान (डी. डब्ल्यू.-8) द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड प्रासंगिक नहीं है और इससे पहले स्वीकार्य नहीं है।

सिविल कोर्ट। राजस्व अभिलेख के सुधार के लिए राजस्व अधिकारी के समक्ष कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की होती है। राजस्व अभिलेख के सुधार के लिए कार्यवाही के दौरान राजस्व अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयान साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं हैं। हो सकता है कि गवाहों के साक्ष्य का उपयोग गवाह के पिछले बयान का सामना करने के लिए किया जा सकता है यदि ऐसा बयान शपथ पर दिया जाता है। अतः संदर्भ

खसरा गिरदावरी कार्यवाही में सुधार पूरी तरह से अनुचित है जब ऐसी प्रविष्टियां गलत साबित नहीं होती हैं।

15. 1954 के अधिनियम की धारा 32 (2) (ए) के अनुसार, अधिकारों के अभिलेख, यानी जमाबंदी में उन व्यक्तियों के नाम शामिल होंगे जो भूमि मालिक, किरायेदार हैं।

या भूमि राजस्व के समनुदेशकों और उन व्यक्तियों में से प्रत्येक को देय किराया, भूमि राजस्व, दरें, उपकर या अन्य भुगतान भी और सरकार। दूसरी ओर, आवधिक अभिलेख, अर्थात खसरा गिरदावरी, जैसा कि 1954 के अधिनियम की धारा 34 में उल्लेख किया गया है, हर वर्ष बयानों के प्रमाण के रूप में तैयार किया जाना है, जैसा कि उप-धारा में उल्लिखित है।

(2) धारा 32 का खंड (ए), जिसमें भूमि मालिकों, किरायेदारों का नाम और देय किराया और भूमि राजस्व शामिल हैं। 1954 के अधिनियम की धारा 45 के संदर्भ में, 1954 के अधिनियम की धारा 32 और 34 के संदर्भ में तैयार किए गए अधिकारों के अभिलेख में सच्चाई का अनुमान होता है। और भी आगे, किसी भी जो व्यक्ति अधिकारों के अभिलेख या आवधिक अभिलेख में किसी भी प्रविष्टि से व्यथित है, उसे 1954 के अधिनियम की धारा 46 के संदर्भ में प्रविष्टियों के सुधार के लिए सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने का अधिकार है।

16. 1954 के अधिनियम की धारा 32 और 34 के संदर्भ में अधिकारों के आवधिक रिकॉर्ड के साथ-साथ अधिकारों के रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। रिकॉर्ड-ऑफ-राइट्स में चार वर्षों के राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियां शामिल हैं। इस तरह के अधिकारों के अभिलेख में 1954 के अधिनियम की धारा 45 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 18722 की धारा 35 के संदर्भ में शुद्धता का अनुमान है। की धारा 109 2 संक्षेप में "साक्ष्य अधिनियम" [2020] 1 एस. सी. आर.

साक्ष्य अधिनियम आगे विचार करता है कि क्या भूमि मालिक और किरायेदार का संबंध मौजूद है और इस तरह के संबंध को साबित करने का बोझ है उस व्यक्ति पर जो इसकी पुष्टि करता है। साक्ष्य अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान निम्नानुसार हैं:

या अन्य आधिकारिक पुस्तक, रजिस्टर या रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, किसी लोक सेवक द्वारा जारी किए गए तथ्य या प्रासंगिक तथ्य का उल्लेख करना

अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा

देश के कानून द्वारा विशेष रूप से आदेशित कर्तव्य का पालन

जिसमें ऐसी पुस्तक, रजिस्टर, या रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है

रखा, अपने आप में एक प्रासंगिक तथ्य है।

XX

XX

XX

109. के मामलों में संबंध के रूप में सबूत का बोझ

भागीदार, मकान मालिक और किरायेदार, प्रधान और अभिकर्ता। - कब

सवाल यह है कि क्या व्यक्ति भागीदार, मकान मालिक और किरायेदार हैं,

या प्रधान और अभिकर्ता, और यह दिखाया गया है कि वे किया गया है इस तरह से कार्य करना, यह साबित करने का बोझ कि वे खड़े नहीं हैं, या

उन संबंधों में एक-दूसरे के लिए खड़े होना बंद कर दिया है

क्रमशः, उस व्यक्ति पर है जो इसकी पुष्टि करता है।

17. हिमाचल प्रदेश राज्य में, जामबंदी, धारा के तहत

32 1954 के अधिनियम के साथ-साथ 1954 के अधिनियम की धारा 34 के तहत खसरा गिरदावरी, दोनों 1954 के अधिनियम की धारा 32 के संदर्भ में रिकॉर्ड-ऑफ-राइट्स हैं, और इनमें सच्चाई का वैधानिक अनुमान है। उस अनुमान का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है, यह हरीश चंदर और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया है। घिसा राम और अन्य 3। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जामबंदी में प्रविष्टियों में सच्चाई की धारणा है लेकिन इस तरह की धारणा का खंडन किया जा सकता है। एक बार जब वह धारणा उठाई जाती है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 109 में निहित नियम के कारण प्रतिवादी संख्या 1 की सहायता के लिए एक और आता है, अर्थात्, जब दो व्यक्तियों के पास है

मकान मालिक और किरायेदार के संबंध में एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए दिखाया गया है, यह साबित करने का बोझ है कि इस तरह का संबंध समाप्त हो गया है, उस पक्ष पर है जो ऐसा दावा करता है। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 2. ..... मौखिक साक्ष्य के अलावा इस पर कोई सामग्री नहीं है

अभिलेख जो किसी भी प्रविष्टि की असत्यता का संकेत दे सकता है

3 (1981) 1 एस. सी. सी. 431 श्री प्रताप सिंह (मृत) एल. आर. एस. के माध्यम से। & ओआरएस। वी. एलआरएस के माध्यम से शिव राम (मृत)। [हेमंत गुप्ता, जे।]

राजस्व अभिलेख और हमारी राय है कि निचली अदालतें

उन पर भरोसा करना पूरी तरह से उचित था।

XXX

XXX

XXX

6. वर्ष 1959-60 के लिए जमाबंदी में प्रविष्टियों के साथ कोई संदेह नहीं जोड़ा जा सकता है, और न ही उस दस्तावेज़ की सामग्री पर हमारे सामने हमला किया गया है। पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 44 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उन प्रविष्टियों में सच्चाई का अनुमान लगाया गया है। इस धारणा का निस्संदेह खंडन किया जा सकता है लेकिन इसे हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसके अलावा, एक बार जब वह धारणा उठाई जाती है, तो एक और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 109 में निहित नियम के कारण प्रतिवादी 1 की सहायता के लिए आता है, अर्थात्, जब दो व्यक्तियों को मकान मालिक और किरायेदार के संबंध में एक-दूसरे के साथ खड़ा दिखाया गया है, तो यह साबित करने का बोझ उस पक्ष पर है जो ऐसा दावा करता है। इसलिए यह वैध रूप से माना जा सकता है कि वादी ने जारी रखा

मुक़दमा दायर होने तक भूमि पर किरायेदार के रूप में अधिकार रखें।

18. वर्तमान एक ऐसा मामला है जिसमें मकान मालिक और किरायेदार के किसी भी संबंध का उल्लेख राजस्व रिकॉर्ड में नहीं किया गया है, हालांकि इसके संदर्भ में आवश्यक है -

प्रतिवादी द्वारा जांचे गए गवाहों का साक्ष्य। संबंध साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। ऐसा बोझ नहीं हो सकता। कहा जाता है कि इसका खंडन केवल मौखिक साक्ष्य द्वारा किया जाता है। गवाह झूठ बोल सकते हैं लेकिन दस्तावेज झूठ नहीं बोलते, यह एक सुनहरा नियम है। राजस्व अभिलेख से जुड़ी सच्चाई की धारणा का खंडन केवल त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता के साक्ष्य के आधार पर किया जा सकता है। मौखिक साक्ष्य को हमेशा राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन ऐसी मौखिक गवाही यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं होगी कि वैधानिक धारणा का खंडन किया गया है।

19. विश्व विजय भारती बनाम में यह न्यायालय। फखरूल हसन और Ors.[a] ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियों को आम तौर पर उनके अंकित मूल्य पर स्वीकार किया जाना चाहिए और अदालतों को उनकी शुद्धता की अपीलीय जांच शुरू नहीं करनी चाहिए। लेकिन शुद्धता का अनुमान लागू हो सकता है

केवल वास्तविक, जाली या धोखाधड़ी वाली प्रविष्टियों के लिए नहीं। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

इसके अंतर्गतः

4 (1976) 3 एससीसी 642 [2020] 1 एस. सी. आर.

" 14. यह सच है कि राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों को आम तौर पर उनके अंकित मूल्य पर स्वीकार किया जाना चाहिए और अदालतों को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए।

उनकी शुद्धता के लिए एक अपीलीय जांच पर। लेकिन द.

शुद्धता का अनुमान केवल वास्तविक प्रविष्टियों पर लागू हो सकता है, जाली या धोखाधड़ी वाली प्रविष्टियों पर नहीं। अंतर ठीक हो सकता है लेकिन यह वास्तविक है। अंतर यह है कि कोई भी इस प्रविष्टि की शुद्धता को चुनौती नहीं दे सकता है कि राजस्व रिकॉर्ड में क्या कहा गया है, लेकिन प्रविष्टि इस हमले के लिए खुली है कि इसे धोखाधड़ी या गुप्त रूप से बनाया गया था। धोखाधड़ी और जालसाजी एक दस्तावेज को उसके सभी कानूनी प्रभाव से लूट लेते हैं और नहीं मिल पाते हैं।

स्वामित्व शीर्षक का दावा "।

20. इस न्यायालय ने एक निर्णय में गुरु अमरजीत सिंह बनाम के रूप में रिपोर्ट किया।

मकान मालिक और किरायेदार। भूमि मालिक और किरायेदार के बीच संबंधों को साबित करने के लिए तीस साल से अधिक पुराने पट्टा विलेख की एक प्रति प्रस्तुत की गई थी। हालांकि, राजस्व रिकॉर्ड में किराए का कोई भुगतान नहीं दिखाया गया है, लेकिन केवल किराए का भुगतान करने के लिए पट्टे की शर्तों का अस्तित्व है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किराए के भुगतान की प्राप्तियों को प्रस्तुत न करना स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि मकान मालिक और किरायेदारों के बीच कोई संबंध नहीं था।

21. सोधी ट्रांसपोर्ट कंपनी और अन्य बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, यह न्यायालय उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 28-बी पर विचार कर रहा था, जो उसमें निर्धारित तरीके से माल की बिक्री की धारणा को उठाती है। इस न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 और पिछले निर्णयों पर भी विचार किया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 14. एक अनुमान अपने आप में सबूत नहीं है, बल्कि केवल उस पक्ष के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला बनाता है जिसके पक्ष में यह मौजूद है। यह साक्ष्य से संबंधित एक नियम है। यह उस व्यक्ति को इंगित करता है जिस पर प्रमाण का भार है। जब अनुमान निर्णायक होता है, तो यह कुछ तथ्यों के प्रमाण पर निकाले जाने वाले निष्कर्ष को हटाने के लिए किसी अन्य साक्ष्य के उत्पादन को रोकता है। लेकिन जब इसका खंडन किया जा सकता है तो यह केवल उस पक्ष को इंगित करता है जिस पर अनुमानित तथ्य पर साक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का कर्तव्य है, और जब वह पक्ष यह दिखाने के लिए निष्पक्ष और यथोचित रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि वास्तविक तथ्य उतना अनुमानित नहीं है तो अनुमान का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। तब साक्ष्य स्थापित किए जाने वाले तथ्य की वास्तविक प्रकृति का निर्धारण करेगा। अनुमान के नियम प्रबुद्ध मानव से निकाले जाते हैं।

$ ए. आई. आर 1994 एस. सी. 227

6 (1986) 2 एस. सी. सी. 486 श्री प्रताप सिंह (मृत) एल. आर. एस. के माध्यम से। & ओआरएस। वी. एलआरएस के माध्यम से शिव राम (मृत)। [हेमंत गुप्ता, जे।]

ज्ञान और अनुभव और तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध, संबंध और संयोग से प्राप्त होते हैं।

22. एक अन्य निर्णय में कुमार एक्सपोर्ट्स बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया। शर्मा कार्पेट्स, इस न्यायालय ने कार्यवाही में तथ्य की धारणा की जांच की

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ऋण के प्रतिफल और अस्तित्व के पारित होने से स्पष्ट रूप से इनकार करने से अभियुक्त का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। सबूत का भार शिकायतकर्ता पर स्थानांतरित करने के लिए कुछ ऐसा जो संभवतः रिकॉर्ड पर लाया जाना चाहिए। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 21. अभियुक्त के पास शिकायतकर्ता द्वारा निर्धारित मामले से या तो साक्ष्य देकर या कुछ स्पष्ट और असाधारण मामलों में, यानी शिकायत में किए गए अभिकथन, वैधानिक सूचना में दिए गए मामले और शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से प्रतिफल और ऋण या दायित्व के अस्तित्व को साबित करने का भी विकल्प है।

मुकदमे के दौरान शिकायतकर्ता। एक बार इस तरह के खंडन साक्ष्य है

अदालत द्वारा प्रस्तुत और स्वीकार किए जाने पर, मामले की सभी परिस्थितियों और संभावनाओं की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए, साक्ष्य का बोझ शिकायतकर्ता पर वापस चला जाता है और उसके बाद, अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत अनुमान नहीं होंगे।

शिकायतकर्ता के बचाव के लिए फिर से आएं।

24. इसलिए, हम पाते हैं कि अधिकारों के अभिलेख से जुड़ी सच्चाई की धारणा का खंडन केवल तभी किया जा सकता है जब प्रविष्टि में धोखाधड़ी हो या प्रविष्टि गुप्त रूप से की गई हो या निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हो। वैधानिक अनुमान का खंडन करने के लिए मौखिक साक्ष्य पर भरोसा करना उचित नहीं होगा क्योंकि मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य की विश्वसनीयता बहुत कमजोर स्तर पर है। 1 (2009) 2 एससीसी 513 8 (2012) 13 एससीसी 759 [2020] 1 एस. सी. आर.

25. इसे ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड से जुड़ी सच्चाई के वैधानिक अनुमान का खंडन करने के लिए मौखिक साक्ष्य पर भरोसा करते हुए प्रतिवादी की अपील के कारण कानूनी रूप से गलती की है। विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के सामने सबूत रखा गया था।यूआरडीएन उस व्यक्ति पर है जो साक्ष्य अधिनियम के 109 के अनुसार इस तरह के संबंध का दावा करता है। प्रतिवादी एक किरायेदार के संबंध को साबित करने के लिए विश्वसनीय, भरोसेमंद और ठोस साक्ष्य के आधार पर सच्चाई के विकल्प का खंडन करने में विफल रहा है।

26. नतीजतन, उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाती है।

पी. पी. एल. की अनुमति है।

अपील की

अनुमति दी गई।

ऐन।